



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

क्रमांक: विधि प्रकोष्ठ / D-1281 / 2026 /

दिनांक :

कार्यालय आदेश

विधिक स्थायी समिति (PLC) की दिनांक 28.09.2026 दोपहर 04:00 बजे आयोजित की गई बैठक में न्यायिक प्रकरण संख्या ~~जिला उपमोक्ता~~ विवाद प्रतिरोष आयोग, भरतपुर (राज.) के समक्ष प्रस्तुत परिवाद संख्या 240/2015 सीमा व अन्य बनाम मदर टेरेसा महिला टी टी कॉलेज व अन्य. पर विचार-विमर्श के उपरान्त में माननीय आयोग द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के विरुद्ध पारित निर्णय दिनांक 24.08.2026 के विरुद्ध अपील का निर्णय लिया गया है, जो कि दिनांक 01.10.2026 को सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Sd -

कुलसचिव

क्रमांक: विधि प्रकोष्ठ / D-1281 / 2026 / 1779-85

दिनांक : 03/10/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार रा.वि.वि., जयपुर।
4. श्री बजरंग लाल सैन, अनुभागाधिकारी, पुनर्मूल्यांकन (परीक्षा) विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. निदेशक, इन्फॉर्मेट सेंटर, रा. वि. वि. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आवश्यक सूचना को विश्वविद्यालय की साइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली।


सहायक विधि परामर्शी /
विधि सहायक